उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय,

चतुर्थ/पंचम तल,इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ–226001

पत्र संख्या–एफएस/2017/27545/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2292/जेडी   दिनांकःफरवरी 15 ,2017

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता (मा0सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड,गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषयः– प्लाट/खसरानं0–टी0सी0जी0/1–ए–वी–6 व टी0सी0जी0/1–ए–वी–7 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर ,जिला –लखनऊ मे प्रस्तावित मेसर्स एक्सपेरियन डेवलपर्स प्रा0 लि0 एवं एक्सपेरियन हास्पिटालिटी प्रा0 लि0 द्वारा संशोधित मानचित्र का समूह आवास एण्ड रिटेल शापिग आउटलेट भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।
यूआईडी–2017/27545/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2292/जेडी दिनांकः–06.02.17

....

कृपया अपने पत्र संख्या–एन.आर–184/ए.ए. मा0सेल दिनांक–21.01.17 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइड पर अपलोड टिकट नम्बर–2017/27545/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2292/जेडी दिनांकः–06.02.17के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास व रिटेल शापिंग आउटलेट भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास एण्ड रिटेल शापिग आउटलेट भवन को मुख्यालय फायर सर्विस के पत्र संख्या–एफएस/2016/23002/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2062/जेडी दिनांकः–02.08.16 द्वारा पूर्व मे प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसका आवेदक द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।प्रश्नगत भवन के प्रस्तुत मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक–08.02.17, मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ की आख्या दिनांक–15.02.17 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जो निम्नवत है–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया – 27573.95 वर्गमीटर।

<u>टावर–1</u>

- भूतल का कवर्ड एरिया– 440.32 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 16 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 419.81 वर्गमीटर।

<u>टावर–2</u>

- भूतल का कवर्ड एरिया– 585.02 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 16 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 576.49 वर्गमीटर।

<u>टावर–3</u>

- भूतल का कवर्ड एरिया– 615.41 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 14 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 606.10 वर्गमीटर।

<u>टावर–4 व टावर–5</u>

- भूतल का कवर्ड एरिया– 867.63 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 11 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 847.19 वर्गमीटर।

<u>टावर–6</u>

(आर० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र० लखनऊ

- भूतल का कवर्ड एरिया— 523.23 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 18 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— 513.56 वर्गमीटर।

कामर्शियल ब्लाक—

- भूतल का कवर्ड एरिया— 1971.09 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया— 1457.60 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल का कवर्ड एरिया— 1947.97 वर्गमीटर।
- तृतीय तल का कवर्ड एरिया— 1947.97 वर्गमीटर।

क्लब ब्लाक—

- भूतल का कवर्ड एरिया— 1091.97 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया— 416.62 वर्गमीटर।

2—बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया— 20285.72 वर्गमीटर।

3—भवन की ऊँचाई निम्नवत है—

- टावर—1 व टावर—2 प्रत्येक की ऊँचाई—50.10 मीटर।
- टावर—3 की ऊँचाई— 44.20 मीटर।
- टावर—4 व टावर—5 की ऊँचाई— 35.35 मीटर।
- टावर—6 की ऊँचाई— 56.00 मीटर।
- कामर्शियल ब्लाक की ऊँचाई— 15.87 मीटर।
- क्लब ब्लाक की ऊँचाई— 09.80 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय/व्यवसायिक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था—

1—**पहुँच मार्ग**—भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 30.00 मीटर व 24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2—**प्रवेश द्वार की चौड़ाई**—दो—16.171 मीटर व 06.854 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

3—**सेटबैक**—भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं—

- अग्रभाग— 10.268 मीटर।
- पृष्ठभाग— 15.163 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम— 17.335 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय— 08.715 मीटर व 16.02 मीटर

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है।सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।बेसमेन्ट का कुछ भाग विल्डिग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

4—निकास मार्ग—

- प्रस्तावित टावर—1 से टावर—6 प्रत्येक मे दो—दो स्टेयर केस—01.50 मीटर व 01.25 मीटर ।
- प्रस्तावित क्लब ब्लाक मे एक स्टेयर केस—01.65 मीटर व एक स्टेयर केस—01.35 मीटर ।

(आर० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र० लखनऊ

- प्रस्तावित कामर्शियल ब्लाक मे एक स्टेयर केस–01.50 मीटर व एक 01.50 मीटर चौड़ी का प्राविधान मानचित्र मे किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5–**रियूफ्ज एरिया का विवरण**–प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–**भूमिगत टैंक**–भूमिगत टैंक–450000 लीटर क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है।

2–**पम्प**–भूमिगत टैक के पास बेसमेन्ट मे पम्प रूम स्थापित करके 02 हाईडेन्ट पम्प–2280 एलपीएम क्षमता का एक स्प्रिंकलर चालित पम्प–2280 एलपीएम क्षमता का 02 डीजल चालित पम्प–2280 एलपीएम क्षमता का एक वाटर कर्टेन पम्प–2200 एलपीएम क्षमता का तथा 04 जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

3–**होजरील**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0–3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

4–**वेटराइजर**–प्रस्तावित भवन के मानचित्र मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5–**यार्ड हाइड्रेन्ट**–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर के रिंग मेन्स मे यार्ड हाईडेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान एनबीसी–2005 के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

6–**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**–मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

7–**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–प्रस्तावित क्लब व व्यवसायिक ब्लाक मे स्वाचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

8–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**–बेसमेंट,क्लब,व्यवसायिक, टावर–1 टावर–2 व टावर–6 भवन के प्रत्येक ब्लाक में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्राविधानित है।

9–**टेरिस टैंक**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक के टैरिस पर टेरिस टैंक–10000 लीटर क्षमता कर स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10–**टेरिस पम्प**–आवश्यक नही है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**–भवन के प्रत्येक ब्लाक मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है। जो मानको के अनुरुप है।

12–**स्मोक एक्सटेक्शन सिस्टम**–

- भवन के प्रस्तावित बेसमेन्ट को एनबीसी–2005 के संशोधन संख्या–2 के अनुसार 07 जोन मे बाटकर कम्पार्टमेन्टेशन किया जाना आवश्यक होगा।
- भवन के बेसमेन्ट मे एनबीसी–2005 के संशोधन संख्या–2 के क्लाज–सी–1.6.4.2 के अनुसार स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13–**एग्जिट साइनेज**–सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक ब्लाक मे एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये है।

14–**पी0ए0सिस्टम**–सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

15–फायर स्केप की इमरजेंसी लाइट को दो घंटे की बैकप ऊर्जा स्रोत से व समस्त अग्निशमन प्रणाली को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से सम्बद्व किया जाय।

उपरोक्तानुसार मेसर्स एक्सपेरियन डेवलपर्स प्रा0लि0 एवं एक्सपेरियन हास्पिटालिटी प्रा0 लि0 द्वारा उक्त स्थल पर प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के

(आर0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी0)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0 प्र0 लखनऊ

साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविज़नल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र

15/2/17

(आर0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी0),
फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0
लखनऊ।

(आर0 के0 सिंह)
निदेशक (पी0)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि–

1–उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,लखनऊ को सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।